

मैं आपको बता देता हूँ चाहे आप कितना ही बोल लीजिए। ... (व्यवधान) ... मंत्री जी, आप बोलिए। ... (व्यवधान) ... क्या आप स्टेटमेंट नहीं रखना चाहते हैं? ... (व्यवधान) ...

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : सर, मैं स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आप हाउस की टेबल पर ले कर दीजिए। ... (व्यवधान) ... आपने रख दी? ... (व्यवधान) ...

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सर, यह हंगामा तो खत्म हो जाये। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आपको इसे सदन की मेज पर रखना है। ... (व्यवधान) ...

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सर, मैं इसे हाउस की टेबल पर ले कर देता हूँ। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : ठीक है।

STATEMENT BY MINISTER

Reconstitution of the Central Advisory Board of Education (CABE)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : सभापति महोदय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केन्द्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने वाला सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1920 में की गई थी। इसके बाद 1935 में इसको पुनः स्थापित किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता रहा है। इसकी बढ़ाई गई अवधि मार्च, 1994 में समाप्त हो जाने के बाद भी दुर्भाग्यवश इसका पुनर्गठन नहीं किया गया है।

देश में हो रहे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों के मद्देनजर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा, जो अपेक्षित है, करने के लिए इस समय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि केन्द्र और राज्य सरकारें और शिक्षाविद् तथा इससे संबंधित सभी व्यक्तियों को आपस में तालमेल बढ़ाना चाहिए और शिक्षा में नीति-निर्माण की सहभागी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए ताकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था के संघीय स्वरूप को बेहतर बनाया जा सके।

तदनुसार भारत सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री होंगे। सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा प्रत्येक राज्य सरकार से शिक्षा के एक प्रभारी मंत्री (मुख्य मंत्री द्वारा नामित) और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से उपराज्यपाल अथवा शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री इस बोर्ड के सदस्य होंगे। इस बोर्ड में लोक सभा और राज्य

सभा से चुने गए क्रमशः 4 और 2 सदस्य होंगे। इनके साथ-साथ इस बोर्ड में शिक्षा से संबंधित विभिन्न संस्थाओं और विभागों के भी प्रतिनिधि पदेन सदस्य और स्थाई आमंत्रित प्रतिनिधि होंगे।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से 32 लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति शामिल होंगे। पुनर्गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की संरचना संलग्नक के रूप में दी गई है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (क) समय-समय पर शिक्षा संबंधी प्रगति की समीक्षा करेगा; (ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों, और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा शिक्षा नीति को किस स्तर तक तथा किस प्रकार से लागू किया गया है, इसका मूल्यांकन करके इस संबंध में उचित सलाह देगा; (ग) शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक विकास हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों, राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के संबंध में सलाह देगा; और यह शिक्षा संबंधी किसी भी मुद्दे पर अपनी ओर से अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी संघ शासित प्रदेश द्वारा इस बोर्ड को भेजे गए किसी भी संदर्भ में सलाह देगा।

इन कार्यों के निर्वहन हेतु, यह बोर्ड (i) किसी भी राजकीय संस्थान, किसी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति से सूचना तथा टिप्पणियां मंगा सकता है; (ii) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों तथा/अथवा अन्यो को लेकर, जो भी आवश्यक हो, समितियां अथवा दल नियुक्त कर सकता है; और (iii) बोर्ड ऐसे विनिर्दिष्ट मुद्दे, जिन पर बोर्ड अथवा इसकी समितियों अथवा दलों द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, के संबंध में सरकार अथवा अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से अध्ययन, अनुसंधान अथवा रिपोर्टें आदि की व्यवस्था करेगा। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि का होगा।

संलग्नक

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन

1. अध्यक्ष
मानव संसाधन विकास मंत्री
2. उपाध्यक्ष
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
3. भारत सरकार के प्रतिनिधि
 - (i) सूचना और प्रसारण मंत्री
 - (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री
 - (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
 - (iv) श्रम मंत्री
 - (v) सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक मंत्री

- (vi) जनजातीय कार्य मंत्री
- (vii) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
- (viii) सदस्य (शिक्षा), योजना आयोग
- 4. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि
 - (i) प्रत्येक राज्य से एक शिक्षा प्रभारी मंत्री (मुख्य मंत्री द्वारा मनोनीत)
 - (ii) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उप-राज्यपाल अथवा शिक्षा प्रभारी मंत्री
- 5. चुने गए सदस्य
 - (i) लोक सभा से चार संसद सदस्य
 - (ii) राज्य सभा से दो संसद सदस्य
- 6. पदेन सदस्य
 - (i) सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार
 - (ii) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
 - (iii) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
 - (iv) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद
 - (v) अध्यक्ष, केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद
 - (vi) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
 - (vii) अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
 - (viii) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
 - (ix) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
 - (x) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
 - (xi) महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ
 - (xii) अध्यक्ष, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद
 - (xiii) अध्यक्ष, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद
 - (xiv) अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद
 - (xv) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
- 7. विभिन्न विषय-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मनोनीत सदस्य (वर्णानुक्रम में)

1. श्री जावेद अख्तर	कवि, गीतकार, कार्यकर्ता
2. श्री यू. आर. अनन्तमूर्ति	लेखक, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता
3. प्रो. आन्द्रे बेटीले	समाजशास्त्री

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4. सुश्री इला मट्ट | एस.ई.डब्ल्यू.ए. |
| 5. श्री प्रफुल्ल बिदवई | स्तम्भलेखक, शान्ति कार्यकर्ता |
| 6. श्री चार्ल्स कोरिया | वास्तुकार |
| 7. सुश्री जी. निर्मला देशपांडे | सामाजिक कार्यकर्ता |
| 8. श्री जी.पी. देशपांडे | लेखक, नाटककार और विद्वान |
| 9. सुश्री महाश्वेता देवी | लेखक, मैगसेसे तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता |
| 10. श्री जीन ट्रेज | अर्थशास्त्री |
| 11. श्री एस.वी. गिरि | कुलपति, सत्यसाई विश्वविद्यालय, पुत्तापार्थी |
| 12. प्रो. जे. एस. प्रेवाल | इतिहासकार |
| 13. श्री गोपाल गुरु | राजनीतिक वैज्ञानिक |
| 14. सुश्री जोया हसन | प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय |
| 15. प्रोफेसर पी.वी. इन्द्रेसन | पूर्व निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई |
| 16. श्री जे.जे. ईरानी | टाटा न्यास |
| 17. श्री किरण कार्निक | अध्यक्ष, नैस्कॉम |
| 18. सुश्री किरण शॉ मजूमदार | अध्यक्षा, बायोकोन इंडिया लिमिटेड |
| 19. प्रो. मृणाल मीरी | कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग |
| 20. सुश्री शुभा मुद्गल | शास्त्रीय गायिका |
| 21. डा. जयंत नारलीकर | वैज्ञानिक |
| 22. श्री संदीप पांडे | सामाजिक कार्यकर्ता, मैगसेसे पुरस्कार विजेता |
| 23. श्री अजीम प्रेम जी | अध्यक्ष, विप्रो |
| 24. श्री विनोद रैना | शिक्षाविद्, गैर-सरकारी संगठन |
| 25. श्री अनिल सदागोपाल | शिक्षाविद् |
| 26. सुश्री तीस्ता सीतलवाद | संपादक, कम्युनलिज्म कम्बैट |
| 27. श्री किरण सेठ | स्पिक-मैके |
| 28. सुश्री कुमुद शर्मा | महिला अध्ययन, निदेशक, सी.डब्ल्यू.डी.एस. |
| 29. श्री पी.बी. शर्मा | संकाय अध्यक्ष, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज |
| 30. सुश्री शांता सिन्हा | शिक्षाविद्, मैगसेसे पुरस्कार विजेता |
| 31. सुश्री कृष्णा सोबती | लेखिका |

32. श्री हबीब तनवीर

रंगमंच रंगकर्मी

8. सदस्य सचिव

सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

9. स्थायी अतिथि

- (i) सचिव, महिला और बाल विकास विभाग
- (ii) सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग
- (iii) सचिव, संस्कृति विभाग
- (iv) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- (v) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- (vi) सचिव, जनजातीय कार्य
- (vii) सचिव, योजना आयोग
- (viii) सचिव, श्रम विभाग
- (ix) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- (x) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री समापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at thirty-five minutes past two of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 7th July 2004.